

27.2.20 चत्तावली पेश इई वकीलि पक्षकारान उपाधिह
 चत्तावलीका अवलोकन किमा अया मन्न मिया
 उर्ध्वे काय उल्लुह गार्धना मात मीमाह किमा
 आलाह मूल बाद के निर्णय तल काकूरह
 म्तिम वादी लो कोरिमे अस्थाई निषेधाज्ञा हे
 पावनाह किमा जाता हे नि शतिवादी गणकी
 विवाहित वल्लेकाप्रत से ^{मयावला} म्तिम वादी लो निर्णय
 प्रथका से हंनित कारण आलाह का मिल पाईल
 किमा जमा निर्णय लुके व्याख्यान से सुनाया
 अया चत्तावली के सल सुमार होणह अन्वय से
 धाम हे

उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेक (जयपुर)

